अन्तर्गत धारा 136 LR

	नम्बर व तारीख

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कील प्रार्थीगण उपस्थित कील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act ..... विरूद्ध प्रार्थीगण प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो अप्राथीग्ण जरिये नोटिस तलब । पत्रावली वास्ते जवाब दिनाक 18.3.16 को पेश हों। Sd/- सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)देसूरी	
18.3.16 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त नहीं हुए अत: पुन नोटिस पेश करने पर जारी किया जावे पत्रावली दिनांक 28.4.16 को पेश हो। Sd/-	
28/4/16 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने P.F नोटिस पेश किये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 19/5/16 को पेश हो। Sd/-	नरेन्द्र कुमार 8/6/16
पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प देसूरी पेश हुई तहसीलदार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल हो। पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रा० पत्र 136 LR Act स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	748 / 27/7/14

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 LR Act स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली इसी फैसले अनुसार होकर सामिल के कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर0ए0एस0
राजस्व बाद संख्या : 01/2016
प्रा0पत्र

प्रार्थीगण :–
उंकारदास पुत्र तिलोकदास
पुखराज पुत्र तिलोकदास
रतनदास पुत्र तिलोकदास
जातिगण–वैष्णव(साद) निवासी देसूरी

बनाम

अप्रार्थी:–
राजस्थान सरकार तहसीलदार

राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत , अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम1956

तारीख रजू: 04/01/2016

उपस्थित:. वादीगण

दिनॉक:– 08/06/2016

–:: निर्णय ::–

''लोक अदालत / केम्प कोर्ट –2016 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजमा–ए–आम शिविर ग्राम पंचायत देसूरी पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट'' में प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम देसूरी पटवार मण्डल देसूरी के पुराने खसरा नम्बर 146/2 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा के नये खसरा नम्बर 640 रकबा 0.3900 हैक्टेयर किस्म बा.दो. लगान 1.95 में लिपीकीय गलती के कारण तिलोकदास,उंकारदास,पुखराज,रतनदास पुत्र लच्छीरामजी दर्ज किया गया जो कि गलत है। इसके स्थान पर तिलोकदास पुत्र लच्छीराम,उंकारदास,पुखराज,रतनदास पुत्रगण तिलोकदास दर्ज करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का देसूरी व भू.अ.नि देसूरी की रिर्पोट ली गई एवं तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा में प्रार्थी के पिता तिलोकदास है एवं तिलोकदास के पिता का नाम लच्छीराम होना बताया गया अतः प्रार्थी का नाम तिलोकदास,उंकारदास,पुखराज,रतनदास पुत्र लच्छीरामजी के स्थान पर तिलोकदास पुत्र लच्छीराम,उंकारदास,पुखराज,रतनदास पुत्रगण तिलोकदास दुरस्त किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात,पटवारी व भू.अ.नि. की रिर्पोट , तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा के आधार अवलोकन करने से स्पष्ट साबित होता है कि प्रार्थी प्रार्थी का नाम तिलोकदास,उंकारदास,पुखराज,रतनदास पुत्र लच्छीरामजी के स्थान पर तिलोकदास पुत्र लच्छीराम,उंकारदास,पुखराज,रतनदास पुत्रगण तिलोकदास नाम दुरस्त किया जाना उचित समझता हूँ।

–:: आदेश ::–

अतः मौजा ग्राम देसूरी पटवार मण्डल देसूरी के पुराने खसरा नम्बर 146/2 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा के नये खसरा नम्बर 640 रकबा 0.3900 हैक्टेयर किस्म बा.दो. लगान 1.95 में प्रार्थी का नाम तिलोकदास,उंकारदास,पुखराज,रतनदास पुत्र लच्छीरामजी के स्थान पर तिलोकदास पुत्र लच्छीराम,उंकारदास,पुखराज,रतनदास पुत्रगण तिलोकदास दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतू भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/06/2016 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016 शिविर अटल सेवा केन्द्र देसूरी में सरे मजमा आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला.पाली (राज0)